प्रेस विज्ञप्ति

23.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने **छत्तीसगढ़ शराब घोटाले** के संबंध में निरंजन दास को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 19.12.2025 को गिरफ्तार किया। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसको तीन दिनों के लिए यानी 22.12.2025 तक ईडी हिरासत में भेज दिया।

छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। पुलिस जांच में पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और अनुसूचित अपराधों के माध्यम से लाभार्थियों को 2500 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध-जनित आय (पीओसी) प्राप्त हुई।

ईडी की जांच में पता चला कि निरंजन दास को लगभग 18 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली थी। इसके अलावा, डिजिटल रिकॉर्ड, जब्त किए गए रिकॉर्ड और लिखित बयानों से प्राप्त सबूतों से यह साबित होता है कि वह शराब सिंडिकेट का सक्रिय सहयोगी था।

जांच से यह साबित हुआ है कि आईएएस अधिकारी निरंजन दास को शराब घोटाले को अंजाम देने में गिरोह की मदद करने के लिए ही आबकारी आयुक्त और आबकारी विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इस संबंध में की गई जांच से पता चला है कि उन्होंने आबकारी आयुक्त के रूप में अपने वैधानिक कर्तव्यों का त्याग किया, सरकारी राजस्व की लूट में सहयोग दिया और 50 लाख रुपये के मासिक भुगतान के बदले में गिरोह को बेरोकटोक काम करने की अनुमति दी। वह अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध शराब/बिना हिसाब-किताब वाली कच्ची शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए फील्ड अधिकारियों को निर्देश देता था। मूल अपराध को अंजाम देने, बाद में अवैध शराब की हेराफेरी करने और राज्य संसाधनों की इस तरह से खुलेआम लूट को संभव बनाने में उसकी भूमिका केंद्रीय थी।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि निरंजन दास के अलावा, अनिल तुतेजा (पूर्व आईएएस), अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी (आईटीएस), कवासी लखमा (विधायक और छत्तीसगढ़ के तत्कालीन आबकारी मंत्री), चैतन्य बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र) और श्रीमती सौम्या चौरसिया को भी इस मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।